



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी, सीकर
पीठासीन अधिकारी:-सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या : 85/14

1. फूलाराम उर्फ हरफुल
 2. चन्द्राराम उर्फ चन्द्रसिंह पुत्रगण स्व. चिमनाराम
 3. पतासीदेवी बेवाह श्री चिमनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
- निर्णय दिनांक :-01.08.2019

- बनामवादीगण
1. नोपाराम
 2. बनारसी राम पुत्रगण चुनाराम
 3. गुटी देवी बेवाह दुर्गाराम
 4. गणपतसिंह
 5. भंवरलाल
 6. शिशपाल
 7. परमेश्वरलाल
 8. रामेश्वरलाल पुत्रगण स्व. दुर्गाराम
 9. द्रोपती देवी बेवाह भगवानाराम
 10. सुभाष
 11. महेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व. भगवानाराम
 12. नोरंगराम दतक पुत्र डुंगरराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर
 13. स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा फतेहपुर जिला सीकर
 14. पटवारी हल्का देवास तहसील रामगढ शेखावाटी
 15. तहसीलदार भू-धारक रामगढ शेखावाटी
 16. उपजीयक रामगढ शेखावाटी जिला सीकर
-प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

उपस्थिति:- विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला(वादीगण की ओर से)
विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर (प्रतिवादी सं 10,11,12की ओर से)

प्रकरण वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है। विवादित आराजी खसरा नंबर 17 रकबा 6.30 हैक्टर, खसरा नंबर 59/2 रकबा 8.52 हैक्टर, खसरा नंबर 123 रकबा 3.88 हैक्टर वाके ग्राम देवास में तथा आबादी भूमियां वाके ग्राम देवास में खसरा नंबर 76 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.09 हैक्टर एवं खसरा नंबर 164 रकबा 5.87 हैक्टर वाके ग्राम फदनपुरा तहसील रामगढ शेखावाटी का खातेदारो के मध्य राजस्व रिकार्ड में उनके हिस्से व कब्जे के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी के विभाजन हेतु दिनांक 03.06.2018 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। तहसीलदार रामगढ को विवादित आराजी के सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./19/3085 दिनांक 02.07.2019 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है तथा वादीगण के अधिवक्ता ने आपत्ति पेश कर बंटवारा प्रस्ताव को खारिज फरमाने का निवेदन

निधि सिंह
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

हया था। वकील पक्षकारान की बहस पर मन्त्र किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर लब्ध दस्तावेजात व बंटवारा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की आपत्ति सारहीन होने के कारण खारिज की गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार रिकॉर्डेड खातेदार को कृषि भूमि में अपनी आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार है एवं सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जाना उचित है। अतः अन्तिम डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजी ग्राम देवास तहसील रामगढ़ शेखावाटी के साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 6.30 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 34 रकबा 0.92 है. खसरा नम्बर 38 रकबा 5.38 है. तथा साबिक खसरा नम्बर 59/2 रकबा 8.52 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 93 रकबा 1.56 है., खसरा नम्बर 94 रकबा 1.56 है., खसरा नम्बर 95 रकबा 2.23 है., खसरा नम्बर 96 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 97 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 98 रकबा 1.01 है., खसरा नम्बर 100 रकबा 1.06 है., तथा साबिक खसरा नम्बर 123 रकबा 3.88 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 228 रकबा 1.49 है., खसरा नम्बर 229 रकबा 1.34 है., खसरा नम्बर 230 रकबा 0.57 है., खसरा नम्बर 231 रकबा 0.48 है. तथा साबिक खसरा नम्बर 76 रकबा 0.06 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 152 रकबा 0.06 है. तथा साबिक खसरा नम्बर 77 रकबा 0.09 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 153 रकबा 0.09 है. तथा ग्राम फदनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 164 रकबा 5.87 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 270 रकबा 5.87 है. का रिकॉर्डेड खातेदारों के मध्य तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान
01.	गुट्टी देवी पत्नि दुर्गाराम, गणपत सिंह, भंवरलाल, शिशपाल, परमेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पिता दुर्गाराम हि. 1/3 बनारसीराम नोपाराम पिता चूनाराम हि. 2/3 जाति जाट सा. देह	देवास	230/2	0.49	बा.3	1.47
			231	0.48	बा.3	1.44
			95/3	0.02	बा.1	0.10
			96	1.09	बा.1	5.45
			97	0.01	गै.मु.चाह	—
			98	1.01	बा.1	5.05
			34	0.92	बा.2	3.68
			38/3	0.6925	बा.2	2.77
			योग			किता 8
02.	फूलाराम, चन्द्राराम पिता चिमनाराम पतासी पत्नि चिमनाराम हि.ब. जाति जाट सा.देह	देवास	228/1	0.46	बा.3	1.38
			229/1	0.51	बा.3	1.53
			93	1.56	बा.1	7.80
			94/3	0.57	बा.1	2.85
			38/4	1.5375	बा.2	6.15
			152/2	0.02	गै.मु.आबादी	—
			153/1	0.055	गै.मु.आबादी	—
			योग			किता 7
03.	सुभाष, महेन्द्र पिता भगवानाराम, द्रोपती पत्नि भगवानाराम हि.ब. जाति जाट सा. देह	देवास	228/3	0.51	बा.3	1.53
			229/3	0.38	बा.3	1.14
			230/1	0.08	बा.3	0.24
			94/1	0.21	बा.1	1.05
			95/1	1.92	बा.1	9.60

निधि सिंह
सुपुखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी



	योग		38/1	1.6125	बा.2 1.5925 गै.मु 0.02	6.37 -
			किता 6	4.7125		19.93
04.	नोरंगराम पिता डूंगरराम जाति जाट सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा फतेहपुर	देवास	228/2 229/2 94/2 95/2 100 38/2 153/2 152/1	0.52 0.45 0.78 0.29 1.06 1.5375 0.035 0.040	बा.3 बा.3 बा.1 बा.1 बा.1 बा.2 गै.मु आबादी गै.मु आबादी	1.56 1.35 3.90 1.45 5.30 6.15 - -
	योग		किता 8	4.7125		19.71
05.	गुट्टी देवी पत्नि दुर्गाराम, गणपत सिंह, भंवरलाल, शिशपाल, परमेश्वरलाल, रामेश्वरलाल पिता दुर्गाराम हि. 1/3 बनारसीराम नोपाराम पिता चूनाराम हि. 2/3 जाति जाट सा. देवास	फदनपुरा	270/3	1.4675	बा.2 1.4075	5.63
	योग		किता 1	1.4675		5.63
06.	फूलाराम, चन्द्राराम पिता चिमनाराम पतासी पत्नि चिमनाराम हि.ब. जाति जाट सा. देवास	फदनपुरा	270/2	1.4675	बा.2	5.87
	योग		किता 1	1.4675		5.87
07.	सुभाष, महेन्द्र पिता भगवानाराम, द्रोपती पत्नि भगवानाराम हि.ब. जाति जाट सा. देवास	फदनपुरा	270/1	1.4675	बा.2	5.87
	योग		किता 1	1.4675		5.87
08.	नोरंगराम पिता डूंगरराम हिस्सा 1/2 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा फतेहपुर जाति जाट सा. देह देवास वगैरह	फदनपुरा	270/4	1.4675	बा.2	5.87
	योग		किता 1	1.4675		5.87

तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शा ट्रेस तथा जमाबन्दी सम्वत 2060-63(खसरा नम्बर 17, 59/2, 76, 77, 123 ग्राम देवास), जमाबन्दी सम्वत 2057-60(खसरा नम्बर 164 ग्राम फदनपुरा) डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हों। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शिखावाटी (सीकर)
रामगढ़ शिखावाटी